भाग–5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

भटनी–औड़िहार रेलवे लाइन (कुल किमी0 1.00 से 125.00 तक) के दोहरीकरण में देवरिया वन प्रभाग में प्रभावित 38.8283हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाण्धक 2052 वृक्षों का पातन, बलिया वन प्रभाग में प्रभावित 33.29 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 2172 वृक्षों का पातन, मऊ वन प्रभाग में प्रभावित 29.5769 हे0 संरक्षित वन भूमि तथां बाधक 1049 वृक्षों का पातन एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 61.1824 हे0संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 1442 वृक्षों का पातन अर्थात कुल प्रभावित 162.8776 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 6715 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में

(प्रस्ताव संख्या–एफ0बी0 / यू0पी0 / रेल / 44309 / 2020)

राज्य सरकार की सिफारिशें–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के

शासनादेश–पी– 58 / 81–2–2021–800(50) / 2021 दिनांक 17

मार्च, 2021 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत ।

(उपर्युक्त **भाग–ख** या **भाग–ग** या **भाग–घ** में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर

( )

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।